कार्यालय कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: कारण बताओ सूचना ::–

क्रमांक/कले/निस/2023/164 कांकेर, दिनांक 26 मई, 2023

प्रति,

श्री आर.सी. धीवर,
अनुविभागीय अधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पखांजूर ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राजेश विश्वास, खाद्य निरीक्षक द्वारा परलकोट जलाशय में उनका मोबाईल पानी में गिर जाने के कारण, मोबाईल ढूंढने के लिए दिनांक 21 मई, 2023 से लगातार 04 दिनों तक परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वाय के बीच लगभग 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप के द्वारा बहा दिया गया ।

2/ मीडिया में दिये गए अपने वक्तव्य में श्री राजेश विश्वास, खाद्य निरीक्षक, पखांजूर को मोबाईल ढूंढने के लिए परलकोट जलाशय से लाखों लीटर पानी खाली करने के लिए आपके द्वारा मौखिक अनुमति दी गई है ।

3/ आपके द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना परलकोट जलाशय से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा देने की मौखिक अनुमति देना कदाचरण की श्रेणी में आता है जो छत्तीगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1965 के नियम (1) (2) (3) विपरीत है ।

4/ उक्त कृत्य के लिए क्यों आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? अपना जवाब 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें । समयावधि में एवं समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावेगी ।

(डॉ. प्रियंका शुक्ला)
कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ0 क्रमांक/कले/निस/2023/164-A कांकेर, दिनांक 26 मई, 2023

प्रतिलिपि –

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. आयुक्त बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, सेक्टर 17, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ ।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधनविभाग, शंकर नगर, रायपुर को सूचनार्थ ।
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ ।
6. कार्यपालन अभियता, जल संसाधन संभाग, कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर